(34)

COURT FEE — कोर्ट फी — भारत INDIA — बीस रुपये TWENTY RUPEES — Rs.20

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प जबलपुर -

रिवीजन प्रकरणक्रमांक ——————→ /2018

निगरानी - 5268/2018/जबलपुर/भू.रा.

रिवीजनकर्तागण :

1. संदीप पालीवाल पिता स्व0 मथुरा प्रसाद पालीवाल निवासी कांकरदेही तहसील मझौली जिला जबलपुर।
2. संजय सिंह पिता सहदेव सिंह निवासी समधार तहसील मझौली जिला जबलपुर
3. इंद्रभान उर्फ पिंकू सिंह पिता तेजभान सिंह साकिन समधार तहसील मझौली जिलाजबलपुर म0प्र0।

दिनांक 28/8/18 को अधिवक्ता श्री- द्वारा उपस्थित होकर जबलपुर पर प्रस्तुत। 28/8/18

विरुद्ध

अनावेदकगण :

1. नरेन्द्र कुमार पिता स्व0 किशनलाल सोनी
2. नीरज कुमार पिता स्व0 किशन लाल सोनी दोनो निवासी मझौली तहसील मझौली जिलाजबलपुर म0प्र0।
3. तहसीलदार मझौली जिला जबलपुर
4. राजस्व निरीक्षक मण्डल मझौली जिला जबलपुर।
5. पटवारी हल्का नंबर 21 रा0नि0म0 मझौली जिला जबलपुर।

NOTARY RAMDAS SHARMA M.P. .../0/4/21 ...(2)2013 JABALPUR (M.P.)

28 AUG 2018

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

/2..

आवेदक सविनय निवेदन करता है कि :-

1· यह कि, आवेदक/ रिवीजनकर्ता अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महौली द्वारा पर्वतार संदीप एवं दो अन्य वि0 नरेन्द्र व एक अन्य में प्रकरण क्रमांक 48/ अ- 70/ 16-17 में पारित आदेश दिनांक 18·6·2018 से क्षुब्ध होकर यह आवेदन / रिवीजन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है:-

1· यह कि, आवेदकगण उपरोक्त पते के स्थायी निवासी है ।

2· यह कि आवेदकगण अपने स्वामित्व की जमीन पर शांतिपूर्वक काबिज है तथा आवेदकगणों द्वारा ग्राम नन्हवारा प0ह0नं0 पूर्व का 37/48 वर्तमान में 21 में स्थित खसरा नंबर 23/1 का रकबा 0·243 हे0 में विधिवत रजिस्ट्री कराकर उक्त भूमि पर शांति पूर्वक काबिज है तथा उनके द्वारा उक्त भूमि पर विधिवत सीमांकन कराया गया था उक्त सीमांकन के आधार पर आवेदकगण अपनी अपनी भूमि पर विगत 20 वर्षों से शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है ।

3· यह कि, आवेदकगणों द्वारा उक्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया गया है । तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन के पूर्व संपूर्ण खसरा नंबर 23 का सीमांकन किया गया था ।तथा राजस्व अभिलेखो में प्रारंभ से ही अभिलार्थी गण का नाम दर्ज चला आ रहा है । साथ ही ग्राम नन्हवारा के हल्का पटवारी से नक्शा एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि वर्तमान के खसरा नंबर 19, 20 21 में पूर्व में ही एक ही खसरा नंबर पर समाहित थे ।

यह कि, विद्वान तहसीलदार महौली द्वारा बिना पैमाईश नाप के नाप कराये बगैर जहां पर आवेदक व अनावेदक के मध्य सीमा विवाद

NOTARY RAMDAS SHARMA ... (M.P.)

28 AUG 2018

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण कमांक निगरानी / जबलपुर / भू.रा. / 2018 / 5268

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
6/12/18	पेशी 31—10—18 को उभय पक्ष को सुना गया। तहसीलदार मझोली व्दारा प्रकरण कमांक 42 / 16—17 अ—70 में पारित आदेश दिनांक 18—6—18 के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार व्दारा पूर्व जारी अंतरिम आदेश दिनांक 28—11—17 को आदेश दिनांक 18—6—18 से अमान्य किया है इस प्रकार तहसीलदार का यह आदेश अंतरिम आदेश की श्रेणी में है। 2 / प्रकरण के तथ्यों अनुसार विचार करने पर स्थिति यह है कि भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25—9—18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई—योग्य नहीं रही है। तद्नुसार निगरानी कलेक्टर जिला जबलपुर की ओर निराकरण हेतु अंतरित की जाती है। आवेदक कलेक्टर जिला जबलपुर के न्यायालय में 26—12—18 को उपस्थित होवें। सदस्य	